न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––65/2025

प्रविष्टि दिनांक––04.03.2025

1. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मुण्डिया तह0 निवाई जिला टोंक
2. रामनारायण पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मुण्डिया तह0 निवाई जिला टोंक
3. काली पत्नी कल्याण जाति मीणा निवासी मुण्डिया तह0 निवाई जिला टोंक

प्रार्थीगण

1. राखी पुत्री मोहनलाल जाति मीणा निवासी सवाईगेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
2. शंकरलाल पुत्र घासीराम जाति मीणा निवासी सवाईगेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. संजय पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी सवाईगेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
4. सीमा पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी सवाईगेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रामकल्याण पूनियां – प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक– 23/2/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 84/5 रकबा 1.5302 बारानी तृतीय वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवारी हल्का चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित आराजी है जिसके वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार व मालिक स्वामी है। आराजी खसरा नम्बर 84/5 के पहले के खसरा नम्बर 84/3/5 जो कल्याण पुत्र रोडया, तीजा पुत्री रोडया व सुन्दर बेवा रोडया के नाम दर्ज था जिसका रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा है जो जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 में उक्त खसरा नम्बर का नम्बर 84/3/4/1 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा था तथा उक्त भूमि का ही खसरा नम्बर जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054 में 84/3/4 था। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर नकल नक्शा ट्रेस में 84/3/4 के रूप में इन्द्राज हो रखा है जिसमें स्पष्ट तौर पर खसरा नम्बर प्रदर्शित है जो खसरा नम्बर कुंअे के खसरा नम्बर के पास में स्थित है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर 84/3/4 का 84/5 वादीगण के नाम कम्प्यूटर जमाबन्दी में हो गया है लेकिन नई अपडेट नक्शा ट्रेस उक्त खसरा नम्बर 84/5 ख0न0 जो नक्शा ट्रेस मे 84/8 के स्थान पर बना दिया है और 84/5 जिस स्थान पर प्रार्थीगण का खेत है जो कुअे के पास वह जहां पर प्रार्थीगण 100 सालों से मकान बनाकर रह रहे है उस स्थान पर 84/8 का अंकन कर दिया है जो अंकन अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का है जिस स्थान पर 84/8 लिखा हुआ है उस स्थान पर अप्रार्थीगण का वर्तमान में या पूर्व में कभी भी कब्जा नहीं रहा है। 84/8 के स्थान पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और 84/8 का रकबा भी पृथक है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह वर्तमान में खसरा नम्बर 84/8 का अंकन है जिस स्थान पर पूर्व नक्शा ट्रेस में 84/3/4 का अंकन हो रखा है उस स्थान पर 84/5 प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 84/8 को हटाकर 84/5 का अंकन नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को नाकाबिलें तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी मुकदमेबाजी बढेगी लडाई झगडे होगें ऐसी स्थिति में उक्त 84/8 के स्थान पर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती 84/5 का अंकन किया जाना आवश्यक उचित एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम संग्रामपुरा के आराजी खसरा नम्बर 84/5 रकबा 1.0302 बारानी–3 खातेदार प्रहलाद, रामनारायण पि0 कल्याण जाति मीना वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 84/5 जिसका रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अवलोकन करने पर एवं लठ्ठाशीट में देखने पर उक्त खसरा नम्बर की तरमीम प्रदर्शित नहीं हो रही है। तत्पश्चात मौके पर जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि खातेदार 84/6, 84/5, 84/8 खसरा नम्बरान की मौका एवं नवीन पालिस्टर शीट में भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। मौके पर ख0न0 84/5 नजदीकी गै0मु0 चाह जो कि ख0न0 89/16 के लगवा है परन्तु नवीन शीट में भिन्न है जिसे खसरा नम्बर 84/8 के स्थान पर 84/6, 84/5 किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नं. 84/5 वाके ग्राम संग्रामपुरा की तरमीम तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 84/8 के स्थान पर 84/6, 84/5 वाके ग्राम संग्रामपुरा की तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा, नकल लटठा शीट अनुसार किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि ग्राम संग्रामपुरा की नक्शा लटठा शीट व डी. आई. एल. आर. एम. पी. शीट में खसरा नं. 84/6, 84/5 व 84/8 में भिन्नता है मौके पर ख0न0 84/5 नजदीकी गै0मु0 चाह जो कि ख0न0 89/16 के लगवा है परन्तु नवीन शीट में भिन्न है जिसे खसरा नम्बर 84/8 के स्थान पर 84/6, 84/5 किया जाना हैं तथा पैरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पैरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित अराजियात वाके ग्राम संग्रामपुरा खसरा नम्बर 84/8 के स्थान पर 84/6, 84/5 की तरमीम रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी निवाई

(प्रीति मीणा)

उपखण्ड अधिकारी निवाई